समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार –सह– सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग बिहार, पटना के पत्रांकः बी–112–108(0001)/2012–20/आ0 दिनांकः 30.07.2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में शीर्ष 2015–निर्वाचन–108 मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करना –0001 मतदाताओं को पहचान–पत्र निर्गत करने पर व्यय की 13 01 कार्यालय व्यय एवं 11 01 यात्रा व्यय इकाई के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन क्रमशः ₹ 4,06,700.00/– (चार लाख छः हजार सात सौ) रुपये एवं ₹ 6,000.00 (छः हजार) रुपये मात्र उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को उप आवंटित की जाती है ।

2 उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष– 2015–निर्वाचन–108 मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करना –0001 मतदाताओं को पहचान–पत्र निर्गत करने पर व्यय की 13 01 कार्यालय व्यय एवं 11 01 यात्रा व्यय इकाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से विकलित होगा ।

3 उप आवंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड–2015001080001 है ।

4 यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः एम0–4–05/98/2561वि(2) दिनांकः 17.04.1998 एवं पत्रांकः 4201/वि0(2) दिनांकः 12.04.2012 के आलोक में उप आवंटित है ।

5 वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेश तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उप आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा ।

6 किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। यह सुनिश्चित करना सबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

7 इस उप आवंटित राशि का व्यय मात्र वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में कराये गये कार्य के विरुद्ध किया जायेगा। उपावंटित राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर कदापि नहीं की जायेगी। पूर्व के वर्षों का बकाया भुगतान करने के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना इस राशि से किसी प्रकार के बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8 उप आवंटित राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व संबंधित फर्म0/व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/ बिक्रीकर/ वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाय ।

9 भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवाकर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवाकर निबंधन संख्या/ सेवाकर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं इस संबंध में सुनिश्चित होने के पश्चात् ही भुगतान किया जाय ।

10. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 3 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस उपावंटित राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जा सकती है।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 307 / दिनांकः 09.08.2012

प्रतिलिपिः उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर/ कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को जिला के वेबसाईट पर अपालोड करने हेतु प्रेषित।

09/08/12

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर।